संख्या-72/2020/890/71-1-2020-जी-339/2012टी0सी0

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 27 मार्च, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में सेन्ट्रल स्टोर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2019-20/841, दिनाँक 18-03-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में सेन्ट्रल स्टोर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना किये जाने हेतु मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0, गाजियाबाद को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए राजकीय मेडिकल कालेजों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में सेन्ट्रल स्टोर मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना किए जाने हेतु मै0 श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ से कार्य कराये जाने की अनुमति एवं एतद्हेतु राजकीय मेडिकल कालेजों में कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3- मानक की पूर्ति एवं कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जालौन एवं कार्यदायी संस्था का होगा।
4- स्वीकृत किये जा रहे कार्य में क्रय आदि के संबंध में क्रय नियमों, प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है और न ही इस योजना हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे कि कार्य की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।
6- स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखी जायेगी।
7- कम्प्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि के उपयोग हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा यू0 पी0 डेस्को द्वारा कम्प्यूटरीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8- प्रश्नगत कार्य हेतु कोई अग्रिम धनराशि देय न होगी। आवश्यकतानुसार कार्य प्रारम्भ करने हेतु मोबलाइजेशन एडवान्स सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त दिया जा सकता है।
9- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रधानाचार्य एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।
10- सेन्टेज चार्जेज केवल निर्माण कार्यो पर देय होंगे तथा उपकरण पर नहीं।
11- कार्यदायी संस्था द्वारा विभागीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12- कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण होने पर सम्परीक्षित लेखे वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 22-03-2019 के अनुसार उपलब्ध कराये जायेंगे तथा प्रधानाचार्य का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त करे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-शिक्षा-03-शिक्षा-07-मेडिकल कालेजों में नेटवर्किंग सुविधा/कम्प्यूटराईजेशन-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनाँक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:72/2020/890(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6- निदेशक, श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।